एफ.सं.42/18/2010-पी एंड पी डब्ल्यू(जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

प्राप्त किया
20 AUG 2010
RECEIVED
MINISTRY OF HEALTH & F.W.

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक: 29 जून, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी, जो अस्थायी पेंशन या 1.1.2010 से प्रभावी 5वीं सीपीसी के पूर्व संशोधित वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को महगांई राहत की अनुदान।

इस विभाग के का.ज्ञा.सं. 42/12/2009-पी एंड पी डब्ल्यू(जी), दिनांक: 17 नवंबर, 2009 के क्रम में, केन्द्र सरकार पेंशनभोगी, जो अस्थाई पेंशन या 5वीं सीपीसी के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए महगांई राहत मंजूर करते हुए, राष्ट्रपति इन केंद्र सरकार पेंशनभोगियों को निम्नानुसार महगांई राहत प्रदान करती हैं:

(i) जो अस्थाई पेंशन या 5वीं सीपीसी के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.1.2010 से @87% महगांई राहत के हकदार हैं।

(ii) उत्तरजीवित सीपीएफ लाभभोगी जो 18.11.1960 से 31.12.1985 तक की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा इस विभाग के का.ज्ञा.सं.45/52/97 पी एंड पी डब्ल्यू(ई) दिनांक 16.12.1997 के अन्तर्गत 1.11.1997 से @600/-रू. प्र.मा. का अनुग्रहपूर्वक राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.1.2010 से @87% महगांई राहत के हकदार हैं।

2. सीपीएफ लाभभोगी की निम्नलिखित श्रेणियाँ, जो इस विभाग के का.ज्ञा.सं. 45/52/97-पी एंड पी डब्ल्यू(ई) दिनांक 16.12.1997 के रूप में अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, को 1.1.2010 से @79%महगांई राहत के हकदार हैं।

(i) मृत्त सीपीएफ लाभभोगी, जो 1.1.1986 से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की विधवाएं एवं आश्रित बच्चे या जिनकी 1.1.1986 से पूर्व सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई थी तथा 605/-रू. प्र.मा. का अनुग्रहराशि प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) 8.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभभोगी, जो सेवानिवृत्त हो चुके केन्द्रीय सरकार कर्मचारी तथा 654/-रू., 659/-रू., 703/-रू. तथा 965/-रू. का अनुग्रहपूर्वक राशि प्राप्त कर रहे हैं।

3. भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी को उनके आवेदन में, इन आदेशों को सी एंड एजी के परामर्श से जारी किया गया है।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के यूओ.सं. 377/ईवी/2010 दिनांक 28.6.2010 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(वी.के.याधवा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग।
भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक।
स्थाई डाक सूची के अनुसार।

संख्या 4/25/2008-पी एंड पी डब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

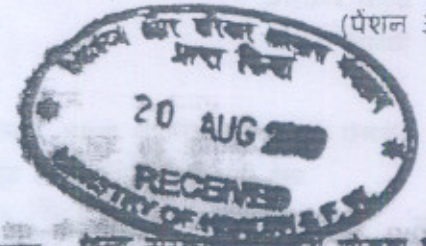

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास करने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में सरकार ने उनके ऐसे दैनिक चिकित्सा व्यय जिनमें अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक नहीं है, को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शासित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास करने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा शासित तद्नुरूप स्वास्थ्य योजनाओं में उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 100रु. प्रतिमाह की दर से नियत चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने हेतु इस विभाग के का.ज्ञा.सं. 45/57/97-पी एंड पी डब्ल्यू(सी) दिनांक 19/12/97 द्वारा अनुदेश जारी किए थे। आगे के स्पष्टीकरण इस विभाग के का.ज्ञा.सं.45/57/97-पीएंडपीडब्ल्यू(सी) दिनांक 24/8/98, 30/12/98 और 18/8/98 द्वारा जारी किए गए थे।

2. नियत चिकित्सा भत्ता को बढाने की मांग पिछले कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन रही है। नियत चिकित्सा भत्ता को 100/-रु. से बढाकर 300/-रु. प्रतिमाह की मंजूरी हेतु राष्ट्रपति की संस्वीकृति दी जाती है। नियत चिकित्सा भत्ता की मंजूरी हेतु अन्य शर्तें पूर्ववत प्रवृत्त रहेंगी।

3. ये आदेश 1/09/2008 से लागू होंगे।

4. ये आदेश वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) की सहमति से उनके आई.डी नोट सं. 347/ई V/2010 दिनांक 14/5/2010 द्वारा तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से उनके यू.ओ. सं. 36-लेखापरीक्षा(नियमावली)/28-2-9 दिनांक 26/5/2010 द्वारा जारी किए जाते हैं।

(राज सिंह)

निदेशक

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग(डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. एन आई सी को पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग की वेबसाइट www.pensionersportal.gov.in पर 'परिपत्र' शीर्ष के अतंर्गत 'नियत चिकित्सा भत्ता' उपशीर्ष के अतंर्गत डालने हेतु।